



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129611

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21159/2026

गणेशआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर	प्रदेश	राज्य	प्रत्यर्थी	(गण)
-------	--------	-------	-----------------	------

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना-सोनहा, जिला-बस्ती में मुकदमा अपराध संख्या 121/2026, अंतर्गत धारा 87, 137(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने पीड़िता का कभी अपहरण नहीं किया। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में पीड़िता ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ने का दावा किया है। पीड़िता ने अपने बयानों में आवेदक के विरुद्ध किसी भी यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.05.2026 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक के नाम पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. पीड़िता के बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयानों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि पीड़िता आवेदक के साथ प्रेम संबंध में रही होगी। आवेदक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.05.2026 से जेल में है। आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल किया जा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चुका है और अब उसे किसी हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है। आवेदक के विरुद्ध विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।
8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक- गणेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं धमकाएगा और विचारण में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिकता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. यहाँ उपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

30 जून, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"